राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2196/2013/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–I, प्रतिकरापवंचन, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गैल्योर पैकेजिंग प्रा.लि.,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाडी। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 03/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 77/76/RVAT/2008–09/12–13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 90,693/–को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2008 को वाहन संख्या डीएल–1एलके–1723 को राठीबास रोड, भिवाडी पर रोक कर चैक किया गया। उक्त वाहन से लदा माल खाली पैकिंग पाउच दिल्ली से भिवाडी के लिये परिवहनित किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा मैसर्स प्रदीप एन्टरप्राईजेज, दिल्ली का जॉबवर्क बिल संख्या 1223 दिनांक 15.07.2008 एवं एनेक्जर 60 दिनांक 06.07.2008 चालान की दो प्रतियॉ पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त दस्तावेजों की जॉच करने पर परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण उक्त वाहन को मय माल अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत निरुद्ध करते हुये अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया। उपरोक्त जवाब से अंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 73(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 90,693/– का आरोपण कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिना विधिक घोषणा प्रपत्र वैट–47 के खाली पैकिंग पाउच राज्य में आयात किये जा रहे थे, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की भावना को दर्शाता है, इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खाली पैकिंग पाउच राज्य के बाहर से बिना वैट–47 के परिवहन किया जा रहा था। प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि उक्त परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 की आवश्यकता थी अथवा नही? कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 पर चालान संख्या 78 दिनांक 15.07.2008 उपलब्ध है, एवं वक्त परिवहन भी वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल के साथ परिवहनित दस्तावेजों में मैसर्स प्रदीप एन्टरप्राईजेज, दिल्ली का जॉबवर्क बेल संख्या 1223 दिनांक 15.07.2008 प्रस्तुत कर दिया गया था, इससे स्पष्ट है कि उक्त परिवहनित माल जॉब वर्क हेतु दिल्ली गया था, एवं जॉब वर्क होने के पश्चात् पुनः भिवाडी को ले जाया जा रहा था।

6. जॉब वर्क हेतु माल आयात–निर्यात किये जाने के लिये वक्त परिवहन घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कहीं प्रमाणित नहीं किया गया है कि माल विक्रयार्थ आयात किया गया है। ऐसी स्थिति में जॉब वर्क के पश्चात् माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न नहीं होने के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **28 टैक्स अपडेट 273 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स यूनिवर्सल एलॉयज, भिवाड़ी** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट–47 के अभाव में शास्ति का आरोपण अनुचित होने से, अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 19.03.2013 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य